न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 59 / 2019 प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अनवान

1. परथु पिता बरदा गाडरी निवासी रामाखेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

––प्रार्थी

बनाम

1. कालु पिता उदयराम जाट
2. कन्हैया पिता नानु लुहार
   सर्व निवासी सोनियाणा तहसील सहाड़ा।
3. हीरालाल पिता मियाचन्द गाडरी
4. भगवान लाल पिता मियाचन्द गाडरी
5. रतन पिता मियाचन्द गाडरी
6. भैरू पिता मियाचन्द गाडरी
7. राजु पिता मियाचन्द गाडरी
8. भैरू पिता खेमा ओढ
9. चतरा पिता गणेश ओढ
   सर्व निवासी रामाखेड़ा तहसील सहाड़ा।
10. भैरू पिता नन्दराम जाट
11. हांसी पत्नि नानु गाडरी
12. शंकर पिता नानु गाडरी
13. लक्ष्मण पिता नानु गाडरी
    सर्व निवासी सोनियाणा तहसील सहाड़ा।
14. नारू पिता खुराज गाडरी
15. उदयराम पिता ज्वारमल गाडरी
16. लादु पिता ज्वारमल गाडरी
17. भगवान पिता देवा भील
    सर्व निवासी रामाखेड़ा तहसील सहाड़ा।

––विपक्षीगण

:: <u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956</u> ::

निर्णय दिनांकः– 22 / 10 / 2019

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम रामाखेड़ा पटवार हल्का सोनियाणा तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 468 रकबा 1.04हे0 469 रकब[illegible] 873 रकबा 0.51 हे0 कुल किता 04 कुल रकबा 2.51 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 8[illegible] हैं। भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 207[illegible] उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:01:17 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण [illegible] विधिवत सूचना पत्र [illegible] किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीसंख्या 1 लगायत 9 व 11 लगायत 17 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा विपक्षी संख्या 10 के विरूद्ध किसी प्रकार की दाद नही चाही गई। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया।

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के

क्रमश....02

प्रकरण संख्या :– 59/2019
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम रामाखेड़ा पटवार हल्का सोनियाणा तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 468 रकबा 1.04हे0 469 रकबा 0.41 हे0 493 रकबा 0.55 हे0 873 रकबा 0.51 हे0 कुल किता 04 कुल रकबा 2.51 हे0 भूमि स्थित है। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 1,200/– (एक हजार दो सो पच्चास रूपये मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि राशि 1,200/– (एक हजार दो सो पच्चास रूपये मात्र) सम्बन्धित भु–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थी अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22/10/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:01:17 IST
Reason: SelfAttested